

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 1762 /2024 दिनांक : 10.05.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1404/2024 दिनांक 12.04.2024 के द्वारा श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ00297), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को दिनांक 22.04.2024 से 26.04.2024 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.04.2024 एवं 27.04.2024 से 28.04.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 26.04.2024 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/11/1998/ 3675

दिनांक : 10.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 38 दिनांक 30.04.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ00297), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, भीलवाड़ा।

सहायक/रजिस्ट्रार